न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 314/2021
वाद अ. धारा 53 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर. एक्ट

हरकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. बलवीर कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राज सिंह पुत्र स्व. श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखदीप कौर पुत्री स्व. श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, गुरविन्द्र सिंह एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 22.3.2024

वादी हरकीरत सिंह ने प्रतिवादीगण बलवीर कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. के खाता सं. 7/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.417 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त खाता की असल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। वादी के नाम से उक्त दर्ज कृषि भूमि नाबालिग होते हुए दर्ज हुई थी। लेकिन अब वादी बालिग हो चुका है। वादी की अंकतालिका एवं आधार कार्ड की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. के खाता सं. 7/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.417 है. कृषि भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं तथा वादी के नाम से उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने [illegible] उप[illegible] से वादी के कब्जाकाश्त में है। जिसका वादी ने [illegible] सहकाश्तकारान के [illegible] अच्छी–मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक [illegible] बाबत् काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त [illegible] प्रतिवादी सं. 1 या अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:27:20 I
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के साथ अच्छी-मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 काश्त करते चले आ रहे है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(अ) **वादी हरकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 एम.जे.डी. खाता सं. 7/5(नया खाता सं. 6/5) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
157/187	59	8/1/0.127 है., 9,12,13/0.253 है.प्र.,
		16/1/0.012 है., 17,18/0.253 है.प्र.,
		25/1/0.013 है.
		कुल 1.417 है. कृषि भूमि

(ब) **प्रतिवादी सं. 1 बलवीर कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 एम.जे.डी. खाता सं. 7/5(नया खाता सं. 6/5) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
157/187	59	16/1/0.216 है., 16/2/0.025 है.,
		25/1/0.215 है., 25/2/0.025 है.
158/187	58	20,21/0.253 है.प्र.

मुमकिन 0.937 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.987 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वादी उक्त बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण [illegible] ऐसा किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन [illegible] करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार [illegible] बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद

लगातार --3

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:20 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा बैंक हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया, प्रतिवादी सं. 5 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. के खाता सं. 7/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका प्रदर्श-2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में खाता विभाजन एवं दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा अनुसार तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. के खाता सं. 7/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.417 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुंज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) **वादी हरकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति [illegible] तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व क[illegible]श्त [illegible] कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 6 एम.जे.डी. खाता सं. 7/5(नया खा[illegible] [illegible] 6/5) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/187	59	8/1/0.127 है., 9,12,13/0.253 है.प्र.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --4

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16/1/0.012 है., 17,18/0.253 है.प्र.,

25/1/0.013 है.

कुल 1.417 है. कृषि भूमि

ख) प्रतिवादी सं. 1 बलवीर कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 एम.जे.डी. खाता सं. 7/5(नया खाता सं. 6/5) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/187	59	16/1/0.216 है., 16/2/0.025 है., 25/1/0.215 है., 25/2/0.025 है.
158/187	58	20,21/0.253 है.प्र.

मुमकिन 0.937 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.987 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक राजीनामा डिक्री पारित की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाकर मृतक अवतार सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी का नाम हरकीरत वल्द जगतार सिंह नाबा. कु. वली सरपरस्त पिता जगतार सिंह वल्द हरबंस सिंह के स्थान पर हरकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:20 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 314/2021

रकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

बलवीर कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

राज सिंह पुत्र स्व. श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुखदीप कौर पुत्री स्व. श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 53 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक :- 22.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री गुरविन्द्र सिंह एवं कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

वादी हरकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 6 एम.जे.डी. खाता सं. 7/5(नया खाता सं. 6/5) जमाबन्दी सम्वत [illegible]

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
157/187	59	8/1/0.127 है., 9,12,13/0.253 है.प्र.,
		16/1/0.012 है., 17,18/0.253 है.प्र.,
		25/1/0.013 है.
		कुल 1.417 है. कृषि भूमि

लगातार --2

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...वादी सं. 1 बलवीर कौर पत्नी श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना ...सील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि ... विवरण :-

...क 6 एम.जे.डी. खाता सं. 7/5(नया खाता सं. 6/5) जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

...नं.	मु.नं.	कि.नं.
57/187	59	16/1/0.216 है., 16/2/0.025 है.,
		25/1/0.215 है., 25/2/0.025 है.
58/187	58	20,21/0.253 है.प्र.

...मुमकिन 0.937 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 0.987 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक राजीनामा डिक्री पारित की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाकर मनकर अवतार सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी का नाम हरकीरत वल्द जगतार सिंह नाबा. कु. वली सरपरस्त पिता जगतार सिंह वल्द हरबंस सिंह के स्थान पर हरकीरत सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....X...... निल .....X...... मुब्लिक .....X.....निल .....X..... बाबत् .....X...... निल.....X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.3.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

...

संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official